[18/12/2019]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1492 के प्रश्नांश "क" का परिशिष्ट – "अ"

प्रश्न सं. [क्र. 1492]

माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर

चर्चा दिनांक - 18.12.19

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

हेल्थ एण्ड वेलनेस कार्यक्रम अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के 6 माह के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताधारी आवेदकों से MP Online वेबसाइट www.mponline.gov.in पर दिनांक 10.11.2019 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त वेबसाइट पर प्रवेश संबंधी नियम एवं आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर संलग्न नियम पुस्तिका अनुसार अभ्यर्थियों को उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर संविदा आधार पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थ किया जा सकेगा।

- आयु सीमा :- अधिकतम आयु दिनांक 01.01.2020 को 35 वर्ष या कम हो। महिला उम्मीदवारों तथा आरक्षित वर्ग हेतु आयु सीमा में 5 वर्ष छूट होगी।
- अन्य राज्यों से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश दिया जायेगा।
- केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे।
- MP Online में पंजीयन एवं ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- प्रशिक्षण हेतु कुल 3450 सीटों पर आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा।

प्रशिक्षण सत्र	कुल सीट	अनारक्षित	अनारक्षित (EWS)	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	बिल्कुल
जनवरी-जून 2020 (इग्नू द्वारा)	840	224	99	160	132	225	8
अप्रैल-सितम्बर 2020 (एम.पी.एम.एस.यू. द्वारा)	390	108	36	78	60	108	4
जुलाई-दिसम्बर 2020 (इग्नू द्वारा)	1830	488	183	366	305	488	18
अक्टूबर 2020-मार्च 2021 (एम.पी.एम.एस.यू. द्वारा)	390	108	36	78	60	108	4

शैक्षणिक अर्हताएं :-

1. भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. या बी.एन.एम. उत्तीर्ण उम्मीदवार.
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध मार्गविद्यालयों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवार।

निर्गतताएं :-

1. मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत नियमित स्टॉक नर्सेस अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण के लिये पात्र नहीं है।
2. निम्न संस्थाओं से उत्तीर्ण B Sc. Nursing इस प्रशिक्षण के लिये पात्र नहीं है।
   - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)
   - भोज विश्वविद्यालय
   - स्वाध्यायी अथवा Distance Learning विधि से शिक्षा प्राप्त

चयनित उम्मीदवारों के लिये दिशानिर्देश-

1. चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण सत्रों में प्रवेश दिया जायेगा।
2. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ 6 माह की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के हेतु बंध-पत्र (Bond) निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश के 15 दिवस के अंदर काउंसलिंग के द्वारा उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का आवंटन किया जायेगा।
4. प्रशिक्षण पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आवंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर 3 वर्ष तक कार्य संपादित करने हेतु नवीन बंध-पत्र (Bond) निष्पादित किया जाना होगा।
5. प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति होने के पश्चात [illegible] मानदेय रु. 25,000 प्रतिमाह एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देश अनुसार [illegible] प्राप्त होगा।
6. इग्नू/एम.पी.एम.एस.यू. का प्रवेश शुल्क रहने एवं भोजन का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य [illegible] प्रशिक्षणार्थी को भोजन एवं आवास व्यवस्था हेतु निर्धारित राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य [illegible] प्रदान की जायेगी।
7. प्रशिक्षण के दौरान एक से दूसरे प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में स्थानांतरण का [illegible]

जी-18250/19